न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2023 निगरानी ग्राम पंचायत

आम जनता ग्राम बसवा तहसील बसवा जिला दौसा जरिये

1. अरूण कुमार खण्डेलवाल पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. सगीर खान पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।
3. विशाल परेवा पुत्र मानसिंह परेवा जाति परेवा निवासी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।
4. प्रभूदयाल पुत्र लक्खाराम जाति मीना निवासी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।
5. कैलाश चन्द पुत्र किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. खेमचन्द पुत्र दीनदयाल सेईवाल जाति कलाल निवासी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत बसवा जरिये सरपंच/सचिव बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

गैरनिगरानीकारान

(अपील विरूद्ध निर्णय विकास अधिकारी पंचायत समिति बसवा दिनांक 10.01.2023 क्रमांक पंसब/पंचायत/2023/4606 पट्टा संख्या 39 ग्राम बसवा)

उपस्थिति :श्री किशनलाल शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार संख्या 1 उपस्थित।
:श्री ऋषभदेव जैमन अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 1 उपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 29.08.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि निगरानीकर्ता द्वारा एक अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति बसवा के समक्ष इस आशय की पेश प्रस्तुत की गई कि गैर निगरानीकार संख्या 1 खेमचन्द ने दिनांक 20.12.2006 को एक प्रार्थना पत्र बाबत् ग्राम पंचायत बसवा में 8 **X** 20 का कब्जा शुदा प्लाट का नक्शा संलग्न कर उक्त भूखण्ड की नजराना राशि जमा करने हेतु प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत बसवा के तत्कालीन सरपंच ने गुपचुप में पौसिदा तौर पर बिना आपत्ति आमंत्रित किये व बिना आपत्ति नोटिस सार्वजनिक रूप से चस्पा किये व बिना पंचायत अधिनियमों की पालना किये दिनांक 20.02.2007 को ही नजराने की कुल राशि 1667/—रूपये निर्धारित करते हुये दिनांक 20.02.2007 को ही पट्टा जारी कर दिया। जबकि नजराना राशि रसीद संख्या 65 में दिनांक 23.02.2007 को जमा दर्शायी गई है। उक्त निर्णय के विरूद्ध विकास अधिकारी पंचायत समिति बसवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो विकास अधिकारी बसवा द्वारा अन्दर मियाद नहीं होना मानकर दिनांक 10.01.2023 को निरस्त फरमा दी गई है। पंचायत समिति बसवा के उक्त निर्णय दिनांक 10.01.2023 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

निगरानी न्यायालय में पेश होने पर प्रकरण [illegible] रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। पंचायत समिति बसवा से प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता निगरानीकार संख्या 1 एवं अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि गैर निगरानीकार संख्या 2 के तत्कालीन सरपंच ने गैर निगरानीकार संख्या 1 से सांठ गांठ कर ग्राम बसवा में राजकीय अस्पताल के सामने स्थित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:29:54 IST
Reason: SelfAttested

सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि का पट्टा कानूनी प्रावधानो का उल्लंघन कर जारी किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने तथाकथित पट्टे की पत्रावली पर पंचायत की ओर से ना तो आपत्ति आमंत्रित की आदेशिका दर्ज है और ना ही पंचायत द्वारा कोई मौका निरीक्षण या मौके की जांच बाबत् कोई आदेशिका दर्ज है। गैर निगरानीकार संख्या 1 से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर पौसिदा में 20.02.2007 को फैसला दर्ज करते हुये बिना नजराना राशि जमा कर पट्टा जारी करना दर्ज कर दिया। उक्त फैसला व पट्टा ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा तैयार नहीं किया गया है और फैसले व पट्टे पर ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से यह भी स्पष्ट है कि उक्त फैसला व पट्टा ग्राम पंचायत के कोरम की सहमति के बिना व ग्राम पंचायत के सदस्यों की उपस्थित बाबत् हस्ताक्षरों का नाजायज फायदा उठाकर तत्कालीन सरपंच ने अवैध तौर पर जारी किया है। पट्टा पर केवल मात्र 2 गवाहों के हस्ताक्षर है जबकि पट्टे पर चार गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिये थे। उस समय के 17 वार्ड पंचों ने पट्टा जारी नहीं किये जाने का शपथ पत्र पेश किया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने जो निर्णय व पट्टा जारी किया है उसमें भूमि का क्षेत्रफल 160 वर्गफुट के स्थान पर 180 वर्गफुट गलत दर्ज किया हुआ है, जिस पर ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है। उक्त भूमि राजकीय अस्पताल के मुख्य गेट के सामने मरीजों के वाहन खडे करने व उठने बैठने के लिये सैकडो वर्षो से आम जनता ग्राम बसवा में काम में आ रही है। जिसका गैर निगरानीकार संख्या 1 से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है बल्कि आम जनता ग्राम बसवा के उपयोग उपभोग की सार्वजनिक हितार्थ छोडी गई भूमि है। विकास अधिकारी पंचायत समिति बसवा द्वारा प्रार्थी निगरानीकार की अपील को विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त फरमाया गया है क्योंकि प्रार्थी को उक्त फर्जी पट्टे की जानकारी दिनांक 05.01.2023 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी में आते ही अन्दर मियाद निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के अन्दर मियाद होने के बावजूद भी प्रार्थी निगरानीकार की अपील को अन्दर मियाद नही होना मानकर दिनांक निर्णय दिनांक 10.01.2023 पारित कर दिया गया है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व पट्टा दिनांक 20.02.2007 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पट्टा दिनांक 20.02.2007 के विरूद्ध आम जनता बसवा की ओर से निगरानी पेश की गई है। आम जनता में बसवा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। केवल निगरानीकार संख्या 1 अरूण कुमार खण्डेलवाल की खुद की दुकाने है। प्रश्नगत भूमि पंचायत की भूमि है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिया गया है। उक्त भूमि पर वर्ष 2006 से पहले से ही गैर निगरानीकार संख्या 1 की चाय की दुकान है। गैर निगरानीकार संख्या 1 खेमचन्द द्वारा दिनांक 20.12.2006 को ग्राम पंचायत बसवा में 8 X 20 का कब्जाशुदा प्लॉट का पट्टा लेने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20.02.2007 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिया जाकर 23.02.2007 को नजराना राशि जमा कराई जाकर दिनांक 18.05.2007 को पट्टा जारी किया गया है। जिस पर लिपिकीय त्रुटि के कारण 8 X 20=180 वर्ग फुट अंकित हो गया है। असल पट्ट की पुश्त पर 160 फीट अंकित है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत की भूमि है। जिसका पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे की अपील पंचायत समिति बसवा में दिनांक 06.01.2023 को पेश की गई है। 16 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई अपील मियाद बाहर है। पट्टे की अपील 1 माह के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। पट्टे को केवल पट्टाकर्ता ही निरस्त करवा सकता है। निगरानी में यह तथ्य अंकित किया गया है कि पट्टा प्राप्त करने हेतु नजराना राशि की रसीद दिनांक 23.02.2007 को दिया जाना जबकि पट्टा दिनांक 20.02.2007 को ही जारी कर दिया जाना अंकित किया गया है। जबकि पट्टा जारी करने की दिनांक 18.05.2007 है। निगरानीकार द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति बसवा [illegible] श्री खेमचन्द सेईवाल पुत्र श्री दीनदयाल निवासी बसवा के पट्टा संख्या 39 की अपील के सन्दर्भ मे पारित आदेश क्रमांक विअ / पंचायत / 2023 / 4606 दिनांक 10.01.2023 के विरूद्ध निगरानी पेश की गई है। उक्त पट्टे की अपील मियाद बाहर होने के कारण विकास अधिकारी बसवा द्वारा अस्वीकार कर दी गई है। अतः निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:29:54 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत पट्टा संख्या 39 ग्राम बसवा के विरूद्ध विकास अधिकारी पंचायत समिति बसवा के समक्ष निगरानीकार द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील समय सीमा के बाहर होने पर निर्णय दिनांक 10.01.2023 द्वारा खारिज की गई है। इसके पश्चात् उक्त पट्टे के विरूद्ध निगरानी करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने के कारण निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्दर मियाद इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर प्रश्नगत पट्टा मात्र सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा ही सम्पूर्ण कार्यवाही कर स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया है। पत्रावली एवं पट्टे पर सचिव ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर नहीं है तथा पत्रावली पर कांटछांट की गई है। आपत्ति आमंत्रण नोटिस पर भी मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है आपत्ति नोटिस जारी करने के क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि आपत्ति नोटिस जारी ही नहीं किया गया है। उक्त जारी किये गये पट्टे की नाप 8 X 20 बताकर उक्त भूमि का क्षेत्रफल 160 वर्गफीट के बजाय 180 वर्गफीट अंकित किया हुआ है। जो गलत दर्ज किया हुआ है और इस पर भी सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तथा कांटछांट भी की हुई है। जिसको लिपिकीय त्रुटि बताया गया है। उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूमि राजकीय अस्पताल बसवा के सामने स्थित सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि है। जिस पर गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत बसवा द्वारा विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाया जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गैर निगरानीकार संख्या 2 ग्राम पंचायत बसवा द्वारा केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर से बिना आपत्ति लिये बिना ही पट्टा जारी कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी किया गया पट्टा खारिज किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पंचायत समिति बसवा का प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.01.2023 एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 खेमचन्द पुत्र दीनदयाल सेईवाल जाति कलाल निवासी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा को जारी किया गया पट्टा संख्या 39 संकल्प संख्या 5 दिनांक 20.02.2007 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति बसवा की मूल पत्रावली वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:29:54 IST
Reason: SelfAttested